

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
संचिका संख्या-11/चक0(26-क)-04/2022

अधिसूचना

एस0ओ0-1281 दिनांक-24/11/2022 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1958 (बिहार अधिनियम 22, 1958) की धारा 28(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरान्त इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संकियाएं बन्द की जाती है।

अनुसूची

क्र०	अंचल	मौजा का नाम	थाना नं०
1	इस्लामपुर	कोधरा	140
2		बैरा	141
3		केवई	114
4		घोबडिहा	107

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ0-1281 दिनांक-24/11/2022 / एस0ओ0
दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के
अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

**Revenue & Land Reforms Department
Directorate of Consolidation**

Notification

File No. 11/चक0(28-क)-04/2022

S.O.-128) Dated-24/11/2022. In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

Schedule

Serial no.	Name of District	Name of Anchal	Name Units (Villages)	Revenue Thana no.
1	Nalanda	Ishlampur	kochra	140
2			Baira	141
3			Kewai	114
4			Dhobdiha	107

By Order of the Governor of Bihar

Joint Secretary of Government

अधिसूचना संख्या-11/चक0(28-क)-04/2022 1281/चक0, दिनांक 24/11/2022
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी0डी0 सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-11/चक0(28-क)-04/2022 1281/चक0, दिनांक 24/11/2022
प्रतिलिपि -समाहर्ता, नालन्दा/अपर समाहर्ता, नालन्दा/उप निदेशक, चकबंदी नालन्दा/चकबंदी पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव।